[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 83/2024- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवंबर, 2024

सा.का.नि. (अ) - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/1997-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्लिखित और आगे भी संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सरणी में, क्रम संख्या 10 के समक्ष, राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में, कॉलम (3) और (4) में, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्लिखित मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		" (vi) धानक्या	आयातित माल की उतराई और निर्यातित माल या ऐसे माल की किसी अन्य श्रेणी की लदाई।"

संजीत कुमार
अवर सचिव भारत सरकार
[फा.सं. सीबीआईसी-50394/12/2021]

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा.का.नि 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2024-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 12 नवंबर, 2024, सा.का.नि 704 (अ), दिनांक 12 नवंबर, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।